

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)


आदेश पत्रक ता0 से तक

जिला -

केस का प्रकार- जमाबंदी निरस्तीकरण वाद संख्या 04/21-22

आदेश और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बाटिप्पणी ता0 स
17/7/21	<p>माननीय उच्च न्यायालय, के वाद संख्या W.P. (PIL) No. 1463/2020 एवं W.P. (PIL) No. 1911/2020 के आलोक में काँके अंचल अन्तर्गत गेतलसुद डैम का संयुक्त मापी अंचल अमीन/राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं विरेन्द्र प्रसाद, इन्द्रजीत राय तथा कर्मवारी सिंह, कनीय अभियन्ता जल पथ प्रमण्डल के द्वारा किया गया। टीम के द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मेसरा खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2435 कुल रकबा 1.28 एकड़ भूमि अर्जित है। जिसपर अतिक्रमण पाया गया।</p> <p>राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक <u>24/7/21</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी काँके, राँची। 17/07/21</p>	
24/7/21	<p>राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2435 रकबा 32 डीसमील भूमि की जमाबंदी सिबन देवी पति- सुरेन्द्र महतो के नाम से पंजी 11 के भाग संख्या 8 पृष्ठ संख्या 8 में दर्ज है एवं संबंधित प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या 2728R27/2011-12 एवं आदेश दिनांक 17.06.2011 द्वारा पृष्ठ संख्या 146/1 से लाया गया दर्ज है। साथ ही जिला-भूअर्जन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक 1159(ii) दिनांक 22-07-2021 द्वारा स्पष्ट है कि उक्त भूमि अर्जित है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबंदी को निरस्त करने हेतु अनुशंसा किया है। जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी काँके, राँची। 24/7/21</p>	
7/8/21	<p>नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। रैयत द्वारा भूमि संबंधी दस्तावेज/कागजात प्रस्तुत किया गया। जिसमें रैयत द्वारा निबंधित पट्टा, शुद्धि पत्र</p>	

तथा लगान रसीद संलग्न किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि 2011 में मेरे द्वारा क्रय किया गया था।


अंचल अधिकारी,
कोक, राँची।


12/8/21.


जलपथ प्रमण्डल के पत्रांक 21 दिनांक 11.01.2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये L.A. Plan के आधार पर मापी की गई, जिसमें अतिक्रमण पाया गया। नक्शा प्राप्त होने के उपरान्त मापी कराई गई। अमीन प्रतिवेदन/राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं जिला-भूअर्जन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक 1159(ii) दिनांक 22-07-2021 के आलोक में स्पष्ट है कि भूमि अर्जित है। ज्ञातव्य हो कि सभी जलश्रोतों से अतिक्रमण हटाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सख्त निर्देश प्राप्त है एवं उनके द्वारा स्वयं इसकी निगरानी की जा रही है।

अतः पंजी 11 के भाग 8 पृष्ठ संख्या 8 में खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2435 रकबा 32 डीसमील की जमाबंदी रैयत सिबन देवी पति सुरेन्द्र महतो के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर, राँची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
कोक, राँची


अंचल अधिकारी,
कोक, राँची

सेवा में,

अंचल अधिकारी,


काँके, राँची।

विषय : जमाबंदी रद्द करने के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, राँची में दायर जनहित याचिका W.P (PIL) No. 1463/2020 एवं W.P (PIL) No. 1911/2020 के आलोक में गेतलशुद जलाशय अन्तर्गत अर्जित भूमि में अतिक्रमण चिन्हित करने हेतु अंचल अमीन एवं जल पथ प्रमण्डल, राँची के कनीय अभियन्ता श्री विरेन्द्र प्रसाद, इन्द्रजीत राँय, कर्मवीर सिंह, के द्वारा दिनांक 08.02.2021 को मौजा मेसरा, रुदिया एवं सुगनू के विभिन्न प्लॉटों की संयुक्त नापी कराई गई। जाँच प्रतिवेदन में मौजा मेसरा के खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2439 में अतिक्रमण होने की बात प्रकाश में आई। इस कार्यालय के पत्रांक 552(11) दिनांक 19.07.2021 द्वारा उक्त प्लॉट के गेतलशुद जलाशय योजनान्तर्गत अधिग्रहित होने के सत्यापन हेतु पत्र जिला भू-अर्जन कार्यालय, राँची को प्रेषित की गई एवं संबंधित दस्तावेज की मांग की गई। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक 1159(11) दिनांक 22.07.2021 द्वारा उक्त प्लॉट के गेतलशुद जलाशय योजनान्तर्गत अर्जित होने का सत्यापन किया गया। उक्त प्लॉट का राजस्व दस्तावेजों से मिलान करने पर पाया कि पंजी 11 के भाग 8 के पृष्ठ संख्या 8 में खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2435 रकबा 32 डीसमील की जमाबंदी रैयत सिबन देवी पति सुरेन्द्र कुमार के नाम से दर्ज है, एवं संबंधित प्राधिकार कॉलम में "दा०खा० वाद संख्या-2728आर27/2011-12" एवं आदेश दिनांक 17.06.2011 द्वारा पृष्ठ 146/1 से लाया गया" दर्ज है।

अतः जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक 1159(11) दिनांक 22.07.2021 द्वारा स्पष्ट है कि मौजा मेसरा के खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2439 अर्जित भूमि है। उक्त के आलोक में पंजी 11 के भाग 8 पृष्ठ संख्या 8 में रैयत सीबन देवी पति सुरेन्द्र कुमार की जमाबंदी रद्द की जा सकती है।


विश्वासभाजन


ci

सेवा में

योग्य अचल अधिकारी प्रहोषण
शंकर, रोधी

विषय:- गेहलपुर जलाशय योजना अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि पर
अतिक्रमण मुद्दे का स्थल लेवल परिवेक्षण।

प्रस्ताव

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कार्यालय आणके 88(ii) दिनांक 06/02 के आदेशानुसार मौजा- लुगाठ, मेसरा खंभ रुदिया में 200 अंश 00 मि. 00 अंश खंभ जला पर प्रमाण, रोधी के कानून अधिग्रहण की करी, प्रसाद, इन्दरजीत राय, कर्मवीर सिंह कि उपस्थिति में सामुहिक रूप से C.A. PLAN (अधिग्रहित कि गई भूमि का नक्शा) के आधार पर स्थल लेवल खंभ मापी सिमा/ नापी में पाए गए अतिक्रमण स्थलों कि सूची निम्नवत है:-

मौजा	खेती नं०	प्र. संख्या (अणक)	संख्या	अतिक्रमण व्यक्ति का नाम/पते
मेसरा	2437- 2433	44 डी.	एक मकान खंभ चाहरखिारी	1) कजरु मुंडा 2) श्री शमी लाल इ- प्रहोजन - मेसरा
मेसरा	2435 - 2439 -	240 डी. 20 डी.	एक मकान चाहरखिारी (खलवेहर मकान)	1) सख्तगण महेला 2) सुरेन्द्र महेला 3) सोहन महेला 4) मोहन महेला
मेसरा	2433	05 डी.	खलवेहर मकान	मो० मोहन शिव खंभ एल एल० मेसरा

अतिक्रमण खेती नं० 205 नं० अथवा खेती नं० में अतिक्रमण नहीं पाया गया तथा मौजा लुगाठ खंभ रुदिया में अधिग्रहित कि गई भूमि वर्तमान में खाली खंभ परती है। अतः अहोरात्र व्यवस्था के अन्तर्गत,

कानून अधिग्रहण

जलपथ नक्शा संख्या

V. Basal

8.2.21

22

08/02/21
J.E.

शुभमणि

90 अंश 00

08/02/21

08/02/21

08/02/21